I/2[illegible]025/2023

महत्वपूर्ण

संख्या–05 / सैंतीस–2–2023–5(53) / 18–टी.सी.–2

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

पशुधन अनुभाग–2

लखनऊ :: दिनांक 04 जनवरी, 2023

विषय–प्रदेश में निराश्रित गोवंश के दिनांक 31.03.2023 तक शत–प्रतिशत संरक्षण के सम्बन्ध में

महोदय,

प्रदेश में लम्पी स्कीन डिजीज (LSD) के पूर्णतया नियंत्रण में आ जाने के उपरान्त निराश्रित गोवंश को संरक्षित किये जाने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त करते हुए पूर्व की भांति निराश्रित गोवंशों को संरक्षित किये जाने के निर्देश शासनादेश संख्या–2264 / सैंतीस–2–2022, दिनांक 07.11.2022 द्वारा दिये गये थे। शासन स्तर पर समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि अभी तक शत–प्रतिशत निराश्रित गोवंश का संरक्षण नहीं किया जा सका है।

2. आप अवगत हैं कि वर्तमान में प्रदेश में शीत लहर का प्रकोप है। ऐसी स्थिति में शेष निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों में तत्काल संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है। गो–आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश को ठण्ड से बचाव हेतु आवश्यक उपाय किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–2516 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 18टीसी–2, दिनांक 14.12.2022 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3. निराश्रित गोवंश का शत–प्रतिशत संरक्षण दिनांक 31.03.2023 तक किये जाने हेतु वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से निर्देश दिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में जिले स्तर पर गतिशीलता लाने की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि निराश्रित गोवंश के संरक्षण की प्रगति हेतु जिलाधिकारी स्तर पर पाक्षिक रूप से समीक्षा की जाय। इसी प्रकार मुख्य विकास अधिकारी के स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाय।

4. अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि निराश्रित गोवंश संरक्षण के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) पशुधन विभाग द्वारा निर्धारित पुनरीक्षित लक्ष्य के सापेक्ष नये अस्थायी गो–आश्रय स्थलों का निर्माण दिनांक 15.01.2023 तक पूर्ण करा लिया जाय।

(2) जनपद में निर्माणाधीन स्थायी गो–संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य दिनांक 28.02.2023 तक पूर्ण करा लिया जाय।

(3) दिनांक 31.03.2023 तक शत–प्रतिशत निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों / केन्द्रों में संरक्षित किया जाय। जिलाधिकारियों द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाय कि जनपद में कोई निराश्रित गोवंश शेष नहीं है।

(4) संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में आ रहे व्यय की SFC पूलिंग के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 03 जुलाई, 2022 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा Parent ग्राम पंचायत को तत्काल पूलिंग के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरित की जाय, जिससे निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में धनाभाव की स्थिति उत्पन्न न हो। इस हेतु मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी के साथ समन्वय / समीक्षा करते हुए SFC फण्ड पूलिंग 07 दिन में सुनिश्चित की जाय।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैटिल कैचर क्रय की प्रगति अत्यन्त कम है। अनेक जनपदों में क्रयादेश तक निर्गत नहीं हुआ है। अतः कैटिल कैचर हेतु 07 दिन के भीतर क्रयादेश निर्गत करते हुए दिनांक 31.01.2023 तक क्रय की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(6) निराश्रित गोवंश संरक्षण की साप्ताहिक प्रगति की सूचना प्रत्येक शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 04-01-2023 11:23:50
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या–05(1)/सैंतीस–2–2023तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।

(2) अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।

(3) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

शासनादेश सं0 05/सैंतीस–2–2022–5(53)/18टी0सी0–2/ दिनांक 04.01.23 के कम में (प्रत्येक शुक्रवार) साप्ताहिक सूचना का प्रारूप

जनपद	कुल संरक्षित (अ0गो0आ0स्थ0, कान्हा, कॉजी हाऊस, वृहद)				सहभागिता					कुल संरक्षित (अ0गो0आ0स्थ0, कान्हा, कॉजी हाऊस, वृहद, मृत गोवंश एवं सहभागिता)	एस0 एफ0 सी0 पूलिंग (धनराशि रू0 में)		कैटिल कैचर			अभ्युक्ति
	लक्ष्य	सप्ताह में संरक्षित	कमिक संरक्षित	अवशेष निराश्रित गोवंश	साप्ताहिक		कमिक		कुल कमिक योग पोषण मिशन+सामान्य		साप्ताहिक	कमिक	शहरी	ग्रामीण	योग	
					पोषण मिशन	सामान्य	पोषण मिशन	सामान्य								

हस्ताक्षर मु0प0चि0अ0

हस्ताक्षर मुख्य विकास अधिकारी